बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–सा०का०नि० 1203 (अ), दिनांक–26.09.2017 द्वारा "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017" अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय ज्ञापांक–वन्यप्राणी–16/2012–160 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक–31.01.2020 द्वारा "बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" का गठन किया गया।

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की दिनांक–28.08.2020 में माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंद्ध विभागों के पदाधिकारियों की समिति गठित किया जाना है। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित् आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, नक्शा निर्माण, अतिक्रमण से मुक्ति एवं अन्य दावों के निष्पादन किया जाना है। साथ ही प्रत्येक आर्द्रभूमि का संक्षिप्त दस्तावेज (brief document), wetland health card, integrated management plan, wetland mitra एवं boundry map of core and zone of influence को तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचित किया जाना है। उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	नगर आयुक्त	सदस्य
3.	अपर जिला पदाधिकारी (जिला राजस्व शाखा)	सदस्य
4.	उप–समहर्ता (जिला भूमि अधिग्रहण शाखा)	सदस्य
5.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
6.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
7.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
8.	संबंधित कार्यपालक अभियंता (लघु जल संसाधन)	सदस्य
9.	संबंधित कार्यपालक अभियंता (जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण)	सदस्य
10.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
11.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	सदस्य
12.	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक आर्द्रभूमि विशेषज्ञ	सदस्य
13.	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव

कार्य विवरण :–

जिला स्तरीय समिति जिलान्तर्गत अवस्थित आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कार्य करेगी।

1. जिलान्तर्गत अवस्थित सभी आर्द्रभूमियों के सम्बन्ध में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

2. जिले में उपलब्ध सभी जल निकायों झील, बील, चौर, मन, ताल, तलैया, पोखर इत्यादि नाम से आर्द्रभूमि क्षेत्रों तथा जलकर क्षेत्रों की सूचनाएँ जो भू–अभिलेखों पर आधारित है तथा परती भूमि पर है, का संकलन किया जाना।

   (i) इन जलीय भूखण्डों का स्वरूप जलीय बनाये रखा जाना सुनिश्चित करना।

   (ii) आर्द्रभूमियों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए Land filling, स्वामित्व परिवर्तन एवं बन्दोबस्ती नही किया जाना।

   (iii) आर्द्रभूमियों का सीमांकन किया जाना तथा भू–अभिलेखों में इन्हें जल निकायों के नाम पर सरकार के भू–राजस्व खाता में पंजीकृत किया जाना।

   (iv) आर्द्रभूमियों की पैमाइश (सर्वे) करा कर इनका सीमांकन/डिमारकेशन कराया जाना तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण से इन्हें मुक्त कराना।

3. आर्द्रभूमि के अन्दर निम्नलिखित कार्य कलापों को निषिद्ध करना।

   (i) किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन करना।

   (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना या विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना।

   (iii) निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंश अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भण्डारण या निपटान, परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले ई–अपशिष्ट।

   (iv) आर्द्रभूमियो में ठोस अपशिष्ट का फेंका जाना :– उद्योगों, शहरों, कस्बों, गॉवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट या बहिस्त्रावों का निस्सारण।

   (v) पिछले दस वर्षों के औसत उच्च बाढ़ स्तर से पचास मीटर के भीतर नाव घाटों को छोड़कर स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण।

   (vi) अवैध शिकार।

4. आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करना। संक्षिप्त दस्तावेज निम्नलिखित अवयवों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(क) अक्षांतर–देशान्तर सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमियों का सीमांकन।

(ख) आर्द्रभूमियों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में सांकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र।

(ग) पारिस्थितिक चरित्र विवरणी।

(घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा।

(ड.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(च) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुमति किये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति।

5. जिलास्तरीय समिति उपरोक्त, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए सिफारिश उपलब्ध करायेगी।

6. किसी भी जलीय भूखण्डों की परिधि में विकास कार्यों जैसे–पथ निर्माण एवं भवन निर्माण एवं अन्य किसी भी प्रकार के अवसंरचना निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाय कि भूखण्ड के आगम–निर्गम चैनल को अवरूद्ध या संकुचित नहीं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

प्रतिलिपिः–सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः–प्राधिकरण एवं तकनीकी समिति / शिकायत समिति / अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25 / 01 / 2022

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव